फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

मोती बनमा मोहिनी देवी
दीवानी वाद संख्या 15/16
सीआईएस संख्या 19/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2025	वकील पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 14 (3) जाब्ता दीवानी का जवाब पेश किया, जिसकी नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्षों ने अपने–अपने जवाब व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी/वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176/16 पुलिस थाना किशनगढ व इससे संबंधित दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए जाने की प्रार्थना की है। यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के विषयवस्तु एवं पक्षकारान से संबंधित है। जहां तक इन दस्तावेजों को देरी से प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है। इस देरी को कोस्ट लगाकर कम्पन्सेट किया जा सकता है। इस न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र एक हजार रूपये कोस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है। कोस्ट राशि प्रतिवादी को अदा की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जिरह/साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 07.07.2025 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	